न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्याः 147/2019

मैसर्स हीरो फिनकोर्प लिमिटेड रजिस्टर्ड पताः– 34, बसन्त लोक, बसन्त विहार, न्यू देहली जरिये प्राधिकृत अधिकारी कैलाश सैनी

...............**प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर**

बनाम

(1). M/S Amgee Tapkir private limited outside chang gate स्टेशन रोड ब्यावर, अजमेर (राज0) दुसरा पताः– 3/6, महावीर गंज, चांग चित्र रोड ब्यावर, अजमेर (राज0)
(2). श्री बालमुकन्द अरोडा पुत्र श्री गोरधन लाल अरोडा, पताः– 3/6, महावीर गंज चांग चित्र रोड, ब्यावर, अजमेर राजस्थान
(3). श्री गोविन्द लाल अरोडा पुत्र श्री गोरधन लाल अरोडा, पताः– 3/6, महावीर गंज चांग चित्र रोड, ब्यावर, अजमेर राजस्थान
(4). श्री गोपाल दास अरोडा पुत्र श्री गोरधन लाल अरोडा, पताः– मस्जिद रानोल रोड, विरसद, विरसद बोरसद आंनद, गुजरात
(5). श्री जुगल किशोर अरोडा पुत्र श्री गोरधन लाल अरोड, पताः– 3/6, महावीर गंज चांग चित्र रोड, ब्यावर, अजमेर राजस्थान
(6). श्रीमती रूकमणी अरोडा पत्नि श्री गोपाल दास अरोडा, पताः– मस्जिद के सामने, रानोल रोड, विरसद, विरसद बोरसद आंनद, गुजरात
(7). श्री घनश्याम दास पुत्र श्री गोरधन लाल अरोडा, पताः– 3/6, महावीर गंज चांग चित्र रोड, ब्यावर, अजमेर राजस्थान
(8). श्री श्रीनिवास अरोडा पुत्र श्री गोरधन लाल अरोडा, पताः–के0डी0 केयर हॉस्पीटल 303–मानमंदिर अर्पाटमेन्ट, 275–स्लेट नगर, त्रिलोक नगर, इंदोर, मध्यप्रदेश
(9). श्रीमती इन्दुमती अरोडा, पताः– 3/6, महावीर गंज चांग चित्र रोड, ब्यावर, अजमेर (राज0)
(10). श्रीमती लतीका अरोडा पत्नि श्रीनिवास अरोडा , पताः–के0डी0 केयर हॉस्पीटल 303–मानमंदिर अर्पाटमेन्ट, 275–स्लेट नगर, त्रिलोक नगर, इंदोर, मध्यप्रदेश
(11). श्रीमती कविता अरोडा, पता–3/6, महावीर गंज चांग चित्र रोड, ब्यावर, अजमेर राजस्थान
(12). श्रीमती अनीता अरोडा, पता–3/6, महावीर गंज चांग चित्र रोड, ब्यावर, अजमेर राजस्थान
(13). श्रीमती सुधा अरोडा, पताः–3/6, महावीर गंज चांग चित्र रोड, ब्यावर, अजमेर राजस्थान
(14). मै0 गोरधन कम्पनी, पताः–कॉलेज रोड, ब्यावर, (राजस्थान) दुसरा पता–3/6, महावीर गंज चांग चित्र रोड, ब्यावर, जिला–अजमेर (राजस्थान)

...............**अप्रार्थीगण/ऋणी**

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री रवि कुमार शर्मा – अभिभाषक प्रार्थी

आदेश **दिनांक 09.10.2019**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण 01 से 13 सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर टाटगढ रोड ब्यावर, अजमेर स्थित अचल सम्पति मुंसिपल नं. 8/534, जिसके पूर्व में:–आम सडक टाटगढ रोड, ब्यावर, पश्चिम में:–प्लॉट कंवर गोरधन लाल अरोडा व डॉ0 अनील कुमार घोष का, उत्तर में:–खानगी गली व आगे मकान श्रीमती सुन्दर का, दक्षिण

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

में:—आम सडक, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 07.07.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.07.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 4,67,90,341.77/— (अक्षरे चार करोड सडसठ लाख नब्बे हजार तीन सौ इक्तालीस एंव सतहतर पैसे मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष बंधक सम्पत्ति टाटगढ रोड ब्यावर, अजमेर स्थित अचल सम्पति मुंसिपल नं. 8/534, जिसके पूर्व में:—आम सडक टाटगढ रोड, ब्यावर, पश्चिम में:—प्लॉट कंवर गोरधन लाल अरोडा व डॉ0 अनील कुमार घोष का, उत्तर में:—खानगी गली व आगे मकान श्रीमती सुन्दर का, दक्षिण में:—आम सडक, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 09.10.2019 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner